क

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी – डॉ0 नीलम सुलभ जैन, आर0जे0एस0
निर्णय दिनांक – 01.07.2026
मुकदमा नम्बर – 173/2025(373/2021) (सी.आई.एस नं. 698/21)
एफआईआर नम्बर – 149/2021, पुलिस थाना फुलेरा

परिवादी	राजस्थान सरकार
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. मदनलाल पुत्र श्री श्योजीराम उम्र 67 साल निवासी हनुमान नगर जीआरपी थाने के पीछे फुलेरा थाना फुलेरा जिला जयपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गिरीश चंद नागु

ख

अपराध की दिनांक	–
एफ.आई.आर. की दिनांक	24.06.2021
आरोप पत्र की दिनांक	18.08.2021
आरोप विरचना की दिनांक	15.02.2022
साक्ष्य आरम्भ की दिनांक	28.04.2022
दिनांक, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	–
निर्णय की दिनांक	01.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई, की दिनांक	–

ग: <u>अभियुक्त विवरण</u>

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोपित अपराध या दोषसिद्धि	क्या दोषमुक्ति त	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1.	मदनलाल			धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	–

भाग – 2

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची</u>

<u>क. अभियोजन</u>

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	छत्रपाल	परिवादी
2.	रामसहाय	समर्थन साक्षी

3.	हनुमानसिंह	समर्थन साक्षी
4.	प्रतीक शर्मा	समर्थन साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

अनु. क्र.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	परिवाद
2.	प्रदर्श पी 2	बैंक से लिया गया लोन संबंधी रिकोर्ड
3.	प्रदर्श पी 4	एफ0आई0आर0
4.	प्रदर्श पी 5	थाना फुलेरा द्वारा मु0नं0 149/21 बाबत रिकोर्ड बाबत एसएचओ द्वारा जारी तहरीर

निर्णय दिनांकः— 01.07.2026

01. यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना फुलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त मदनलाल के विरूद्ध दिनांक 18.08.21 को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 के तहत न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक में पेश हुआ जो कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के आदेश से अंतरित होकर न्यायाला हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विचारण प्रारंभ किया गया।

02. संक्षेप मे अभियोजन कहानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी छत्रपाल ने दिनांक 17.06.2021 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर के यहां एक टाईपशुदा परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादी व अभियुक्तगण दोनो आपस में रिश्तेदार है। अभियुक्त संख्या 01 व 02 पिता पुत्र है। अभियुक्तगण ने मैसर्स दीनदयाल किराना स्टोर इन्द्रा मार्केट फुलेरा के नाम से मदनलाललली एवं मैसर्स जगदम्बा फुटवियर गांधी चौक फुलेरा के नाम से सुरेश कुमार वाके फुलेरा में व्यवसाय करते है। अभियुक्तगण को दोनो फर्मो के व्यवसाय करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होने परिवादी को अपने विश्वास में लेकर अपने रिश्तेदारी होने का नाजायज फायदा उठाते हुयें परिवादी को अपनी फर्मो के लिमिट सी सी एकाउन्ट में बतौर गारन्टर बनाने के लिए परिवादी को अपने प्लाट की गारंटी बैंक मे दिलवा दी। परिवादी को अभियुक्तगण द्वारा केवल मात्र यह कहा गया था कि आपको प्लॉट के कागजात और गारन्टर बनना है। परिवादी चूंकि रिश्तेदार होने के नाते अभियुक्तगण पर विश्वास कर लिया और बैंक में जाकर अभियुक्तगण पर विश्वास करते हुयें उक्त फर्म के लिमिट सी सी एकाउण्ट का गारान्टर बन गया और अपने प्लॉट को रहन बतौर गारन्टर रख दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने मिलकर उक्त लिमिट अकाउन्ट में बतौर मोर्गेज बाई डिपोजिट परिवादी की पट्टाशुदा भूमि 342.22 वर्ग गज भूमि का पटटा दिनांक 27.07.2010 को बैंक में रखाया था और आश्वस्त किया था कि आपके पट्टे पर किसी तरह की आंच नही आने देंगे बैंक लिमिट अनुसार आवश्यकतानुसार कारोबार के लिये बैंक से राशि लेते रहेंगे और जमा कराते रहेंगे आपका पट्टा बतौर डिपोजिट अमानता जमा रहेगा। परिवादी का पट्टा अमानता बैंक मे रखा हुआ था और अभियुक्तगण ने अपनी फर्म के लिये आवश्यकतानुसार लिमिट से राशि लेते रहे किन्तु कुछ समय से अभियुक्तगण अपनी दोनो फर्मो का व्यवसाय बंद कर दिया और बैंक के पैसा लेकर चले गयें और बैंक का खाता एनपीए हो गया जिसकी जानकारी होने पर परिवादी द्वारा बैंक में का निकलवाने को अमानता रखा पट्टा दिनांक 25.01.2021 का निकलवाने को अभियुक्तगण पिता पुत्रों को कहा तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया जिस पर परिवादी ने दिनांक 28.01.2021 को बैंक को

जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित कर पट्टा परिवादी को लौटाने का सूचित किया किन्तु अभियुक्तगण अपनी दो फर्म की लिमिट राशि बैंक में बकाया होने से पट्टा नही लोटाया जा रहा है । यह कि अभियुक्तगण सुरेश कुमावन व मदनलाल कुमावत दोनो पिता पुत्रों ने परिवादी को विश्वास में लेकर झांसा देते हुये छल व कपट पूर्वक आश्य से धोखाधडी कर बदयांती पूर्वक अपने व्यवयसाय के लिये लिमिट अकाउन्ट मे परिवादी का उक्त पटटा डिपोजिट/अमानता रखा गया था किन्तु इन अभियुक्तगण दोनो की नियत खराब हो गयी है उक्त लिमिट की राशि का भुगतान न कर अमानता रखा गया पटटा जप्त करवा रखा। चुंकि खाता एन पी ए हो चुका हैं और उस पर ब्याज बढ़ता जा रहा है और परिवादी का प्लॉट बैंक किसी भी समय कुर्क कर निलाम कर सकती है और अपना पैसा वसूल कर सकती है। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना फुलेरा एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 भेजकर धारा 154 जा0फौ0 की पालना कर दी। लेकिन परिवादी द्वारा पुलिस थाना फुलेरा में कई चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।.....आदि। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना फुलेरा द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 149/2021 अन्तर्गत धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। आवश्यक अनुसंधान करने के पश्चात् अभियुक्त नजीर खां के विरूद्ध धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त मदनलाल को धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन व समझ कर अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. तदन्तर अभियोग को समस्त संदेहो से परे सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 छत्रपाल, पी.डब्ल्यू. 02 रामसहाय, पी. डब्ल्यू. 03 हनुमान सिंह, पी.डब्ल्यू. 04 प्रतीक शर्मा को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 परिवाद, प्रदर्श पी 2 बैंक से लिया गया लोन संबंधी रिकोर्ड, प्रदर्श पी 4 एफ0आई0आर0, प्रदर्श पी 5 थाना फुलेरा द्वारा मु0नं0 149/21 बाबत रिकोर्ड बाबत एसएचओ द्वारा जारी तहरीर को प्रदर्शित कराया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त की।

05. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित करने पर अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये उसे झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा परंतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

06. अभियुक्त ने जमानत मुचलके अन्तर्गत धारा 481 बी0एन0एस0एस0 के तहत पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये।

07. बहस अंतिम उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियोजन की और से कथन किया कि चूंकि अभियुक्त के द्वारा परिवादी को विश्वास में रखते हुए परिवादी के प्लॉट का पट्टा स्वयं के लोन की सी0सी0 लिमिट बढाने के लिए बतौर गारन्टर प्राप्त किया गया। परंतु अमानता रखे हुए पट्टे पर अभियुक्तगण ने अपनी दोनो फर्मो को बंद कर दिया। दिनांक 25.01.2021 को परिवादी द्वारा जब पट्टा प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को कहा गया तो अभियुक्त की फर्म की बकाया राशि होने के कारण बैंक ने पट्टा नहीं लौटाया। परिवादी ने इस संबंध में बैंक को भी जरिये पत्र पट्टा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री पत्र भेजा। परिवादी का पट्टा बैंक किसी भी समय कुर्क कर वसूली कर सकता है। अतः अभियुक्त के द्वारा परिवादी को विश्वास में रखते हुए जो कृत्य किया गया है वह धारा 420, 406 भा0दं0सं0 के अपराध की श्रेणी

में आता है। अभियुक्त के द्वारा इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफ0आई0आर0 को निरस्त करने हेतु आवेदन किया था। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने आपराध को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त की एफ0आई0आर0 निरस्त नहीं की। ऐसे में अभियुक्त को धारा 420, 406, 504 भा0द0स0 में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08. अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क रहा है कि अभियुक्त के द्वारा वर्ष 2010 में जिस दुकान हेतु लोन लिया गया था वह वर्ष 2018 तक निरंतर किश्तों मे बैंक को लोन अदा किया गया। व्यवसाय बंद होने के कारण अभियुक्त की आर्थिक स्थिति का खराब होना है। यदि परिवादी किसी भी प्रकार की क्षति से ग्रसित है तो वह क्षतिपूर्ति का दावा पृथक से कर सकता है। संपूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है। विश्वास का व बेईमानी का तथ्य परिवादी के द्वारा साबित नहीं किया गया है। चूंकि वर्ष 2010 से 2018 तक लगातार किश्तों की अदायगी अभियुक्त के द्वारा की गई है, ऐसे में धारा 420, 406 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित नहीं है। जहां तक धारा 504 भा0दं0सं0 का प्रश्न है उसके संबंध में किसी प्रकार के कोई कथन परिवादी ने अपनी साक्ष्य में नही किए है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः—

1- Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. vs State of Uttar Pradesh & Anr. CRIMINAL APPEAL NO. 3114 OF 2024.

2- CRI MP 776/2018 (2024 RJ JD 38144)

3- INDIAN CONTRACT ACT Sec 2 Interpretation clause, Sec- 126 "Contract of guarantee" "surety" "principal debtor" and " creditor", Sec-145-Implied promise to indemnify surety. Sec-17-"Fraud", Sec-18-"Misrepresentation".

4- RLW 1989 (1) Ramji Lal vs State of Rajasthan (52) S.B. Criminal Appeal No. 141 of 1979 decided on 2nd june, 1989.

5- RLW 1990 (1) Inder Singh @ Thunia Singh vs The State of Rajasthan(56) D.B. Criminal Jail Appeal No. 367 of 1985, decided on 30th march, 1990.

6- RLW (1) Chaina Ram vs The State of Rajasthan. S.B. Criminal Revision Petition No. 276 of 1985 decided on 18th may, 1994.

7- RLW 1989 (2) Neeraj Raj Garg vs The State of Rajasthan (34). S.B. Criminal Misc. Petition No. 269 of 1989 decided on 6th Dec, 1989.

09. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार हैः—

1. क्या प्रकरण के अभियुक्त परिवादी के रिश्तेदार होकर परिवादी का पट्टाशुदा भूमि का पट्टा जो परिवादी द्वारा दिनांक 27.07.2010 को ऋण हेतु आपको न्यस्त किया गया था, परिवादी द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर बेईमानीपूर्ण आशय से उसका दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास कारित कर परिवादी को अपनी पट्टेशुदा भूमि का पट्टा बतौर गारन्टी बैंक में रखने हेतु प्रेरित कर अपने व्यवसाय हेतु बैंक से ऋण लेकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से परिवादी श्री छत्रपाल को सउद्देश्य अपमानित किया। ?

2— यदि हॉ तो अभियुक्त को उनके कृत्य की क्या सजा दी जाये ?

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है उसमें मुख्य गवाह परिवादी पी0ड.0 01 छत्रपाल है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मदनलाल कुमावत फुलेरा के अंदर दीन दयाल किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाते थे। उनका लडका

सुरेश कुमार जगदंबा फुटवियर के नाम से फुलेरा में दुकान चलाते थे। मदनलाल उसका रिश्ते में बहनोई है। उन्होने अपनी दुकान चलाने के लिये उससे से पैसों के लिये कहा कि आपका पटा बैंक में अमानत के तौर पर रखने को कहा जिससे उसकी दुकान का लिमिट अकाउंट सुचारू रूप से चलें। उनकी बात पर विश्वास करके उसने वर्ष 27.10.2010 में सुरेश व मदनलाल से मिलकर मदनलाल के अकांउट में लिमिट बतौर अकाउंट भूखण्ड का पटा रख दिया। कुछ समय बाद में उसने अपनी दुकान बंद कर दी, चले गये जिससे उसके बैंक का खाता एनपीए हो गया। उसके बैंक का पटा निकलवाने के लिये उसने उनको कही बार कहा लेकिन उन्होने संतोषप्रद जवाब नही दिया और दोनो ने मुझे विश्वास में रखकर उसका पटा छल पूर्वक धोखा धडी कर रखवा दिया। उसने परिवाद प्रदर्श पी 1 दर्ज करवाया था। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस थाना फुलेरा के द्वारा बैंक एस बी आई शाखा फुलेरा के शाखा प्रबंधक के द्वारा उसकी मोरगेज लोन बाबत समस्त दस्तावेजात पुलिस थाना द्वारा पेश किया गया है शामिल पत्रावली है। जिरह में कथन किया है कि मैं 12वीं कक्षा तक पढा हूॅ। मै अमानत, जमानत व मोरगेज शब्दों की परिभाषा कम जानता हूॅ। यह सही है कि मेरे बडे भाई साहब डीवाईएस के पद पर कार्यरत थे। यह सही है कि मेरे दो बेटे है, मेरा एक बेटा रेलवे में तथा दूसरा पोस्टऑफिस में अच्छे पद पर कार्यरत है। मैं किसी पद पर कार्यरत नही हूँ, मैं किसान संघ का सदस्य हूँ। मैं किसानो को भारत भ्रमण के लिये कही नही लेकर गया। मेरे बैंक में कई खाते नही है, मेरा केवल एक बचत खाता है, जो यूको बैंक में है। मेरी जमीन पर वर्तमान में केसीसी का लोन नही है और नही पहले था। जगदम्बा फूट वीयर का प्रोपराईटर सुरेश कुमार है। जगदम्बा फुट के लिये बैंक से लोन सुरेश कुमार के पिताजी मदनलाल ने लिया था। मदनलाल व सुरेश कुमार के दो फर्म है। मदनलाल ने जगदम्बा फूट वीयर के नाम से लोन लिया हो इस बाबत् मैंने कोई दस्तावेज पेश नही किया। मैंने अपना पट्टा दिनदयाल किराणा स्टोर फुलेरा के नाम पर गिरवी रखा, इस दुकान का मालिक मदनलाल है। मैंने जगदम्बा फुट वीयर के लोन खाते के लिये अपना पट्टा गिरवी नही रखा था। फर्म दिनदयाल किराणा स्टोर इंद्रा मार्केट फुलेरा का खाता एनपीए हुआ था। बैंक ने मेरे से पैसे मांगे कि मदनलाल से आप पैसे बैंक में जमा करवाओ, तब आपको आपका पट्टा मिल जायेगा। मेरा पट्टा रजिस्टर्ड था। मैं मेरे पट्टे की सत्यप्रति तहसील से प्राप्त कर सकता हूँ। बैंक ने मेरे खिलाफ कार्यवाही नही की, लेकिन मदनलाल ने मेरे साथ धोखादडी की है। जिस उद्देश्य से किराना स्टोर चलाने के लिये ऋण लिया था, उसमें मेरा पट्टा रहण है, दिनदयाल ने अपनी फर्म बंद कर दी है। यह बात सही है कि यदि बैंक मेरे से पैसा वसूली करती है तो मैं मदनलाल से क्षतिपूर्ति सहित पैसा वसूल कर सकता हूॅ।

11. गवाह पी0ड0 2 रामसहाय ने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह दिनांक 24.06.2021 को थाना फुलेरा पर ए एस आई के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान इंचार्ज साहब ने मुकदमा नंबर 149/21 धारा 420, 406, 504 भादस की तफतीस उसके नाम की थी। दोराने तफतीस गवाह छत्रपाल, हनुमानसिंह के बयान लिये गये। ग्राम पंचायत काचरोदा से पटे के संबंध तहरीर दी जाकर पट्टे की सत्यप्रतिलिपि व विक्रय अभिलेख जो प्रदर्श पी 2 है शामिल पत्रावली है। बैंक से लोन संबंधी रिकॉर्ड लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बाद तफतीस मुल्जिम मदनलाल के विरूद्व धारा 420, 406, 504 भादस का अपराध साबित होने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु एस एच ओ पेश की। चार्ज शीट पर ए से बी व चाक एफ आइ आर प्रदर्श पी 4 पर ए से बी रणजीतसिंह जी के हस्ताक्षर है जिन्हे वह पहचानता है। जिरह में कथन किया है कि जगदंबा फुटवियर का प्रोपराइटर मदनलाल जी होंगे मै कनफर्म नही हूं पत्रावली देखकर

बता सकता हूं। मेरी अंतिम जांच कितनी तारीख की थी वो एपीपी पत्रावली में है। तहरीर दिनांक 13.07.2021 को मैने दी और उस दिन तक मैने स्टेटमेंट अकाउंट बैंक से लिया था। जो स्टेटमेंट पेश किया है तब तक का पूरा लेन देन बैंक वालो ने दे दिया था उसके बाद कोई लेन देन नही था। मैने स्टेंटमेंट के बाद का ओर तहरीर के दिन तक का बैंक स्टेटमेंट बाबत कोई लिखापढी बैंक अधिकारी से नही ली। मैने जांच जगदंबा फुटवियर व दीनदयाल किराणा स्टोर की की थी। लेकिन कार्यवाही जगदंबा फुटवियर की ही की थी। परिवादी ने अपना पटा बतौर गारंटर जगदंबा फुटवियर के कहने पर बैंक को दिया है। खुद अपनी मर्जी से उसने लेजाकर नही दिया है। दिनांक 27.07.2010 बैंक में परिवादी ने पटा रखा था। पटे की खयानत 2020 में मालूम की थी महिना तारीख याद नही है। धोखा 2018 में दिया मुल्जिम ने महिना तारीख याद नही। धोखा पटा लेने के लिये दिया था। पटे के बदले में जो राशि ली वो वापिस जमा नही करवायी इसी को मैने खयानत माना। परिवादी को मैने वो गारंटर का मतलब समझता है या नही मैने नही पूछा। मैने बैंक अधिकारी से भी नही पूछा कि उसने परिवादी को गांरटर का मतलब समझाया था या नही। मैने मालूम नही किया कि परिवादी के लडके बडी बडी पोस्ट पर है। मैने इस बारे में तफतीस नही की थी कि परिवादी किसान नेता है किसानो को लोन दिलाता है। अध्यक्ष और ट्रेजर भी रहा है। परिवादी जमीनो के प्लाट काटकर बेचता मैने इस बारे में भी मालूम नही किया। परिवादी कितना पढा लिखा है बयानो में नही लिखा हुआ है। यह बात सही है कि परिवादी पढा लिखा है लेकिन बी कॉम बी एस सी है यह मुझे नही पता। यह बात गल त है कि जगदंबा फुटवियर के खाते में 2021 तक पैसा जमा होता रहा हेा और मैने तफतीस मे नही लिया हो। दुकान बंद करके चला गया परिवादी ने किस्ते जमा करवाने के लिये और पैसे मांगे उस दिन से 406 व 420 का जुर्म कारित हुआ। परिवादी ने किस्ते जमा करवाने के किये कहा और किस्ते जमा नही करवायी और गाली गलोच की उस दिन 504 का जुर्म हुआ। केवल गालियां बोलना ही मेरी तफतीस में आया क्या क्या गालियां बोली मेरी तफतीस में नही आया। जगदंबा फुटवियर का प्रोपराइटर मदनलाल ही है इसलिये उसे इसका मुल्जिम बनाया। फिर कहा मदनलाल दीन दयाल किराना स्टोर का प्रोपराइटर है इसलिये मुल्जिम बनाया।

12. गवाह पी0ड0 3 हनुमानसिंह ने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह छत्रपाल को जानता है। मदनलाल ने बैंक से लोन लिया था, जिसके गारंटर छत्रपाल बने थे। मदनलाल ने बाद में लोन के पैसे नहीं चुकाये, फिर कहा कि लिमिट बढ़ाने के लिए लिये थे। मदनलाल व छत्रपाल आपस में रिश्तेदार है, मदनलाल ने कहा कि उसकी बैंक की लिमिट बढ़ जाये इसलिये आप अपना पट्टा गिरवी रख दो और गारंटर बन जाओ। बाद में मदनलाल दुकान बंद करके वहां से भाग गये, पैसे चुकाये या नहीं उसको कोई जानकारी नहीं है। जिरह में कथन किया है कि मदनलाल व सुरेश द्वारा पट्टा रखने की बात छत्रपाल को किस तारीख महीने व साल में कहीं मुझे ध्यान नहीं। उक्त पट्टा रखने की बात मदनलाल जी दुकान के सामने ही हुई थी। मैं उस समय रास्ते से जा रहा था, छत्रपाल जी के बुलाने पर मैं वहां पर गया था। मेरे पुलिस में बयान हुए थे। सिर्फ मदनलाल व छत्रपाल के पट्टा रखने की बात हुई थी मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2020 में मदनलाल व सुरेश ने अपने इन खातों में कितने रूपये कब कब जमा कराये मुझे पता नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना आया था तथा लॉकडाउन भी लगा था। यह बात भी सही है कि लोगों का काम धंधा भी ठप हो गया था। छत्रपाल ने मेरे सामने बैंक में पट्टा गिरवी नहीं रखा था, मेरे सामने सिर्फ पट्टा रखने की बात ही हुई थी। मैं छत्रपाल को पैदा हुआ तब से जानता हूं। छत्रपाल 2018 में भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बना था तथा किसानों की हरतरह की समस्याओं को दूर

करता था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि छत्रपाल या उसके पिताजी ने कॉलोनी काटी हो या नहीं। मैं छत्रपाल के लड़को को भी जानता हूं, उनमें से एक लड़का रेलवे में अधिकारी है तथा एक लड़का पोस्ट ऑफिस में अधिकारी है। यह दोनों लड़के वर्ष 2010 के बाद नौकरी लगे है। गारंटर का मतलब मैं जानता हूं, गारंटर का मतलब है कि उधार देनें वाला पैसे नहीं दो गारंटर पैसे देगा। छत्रपाल को गारंटर का मतलब पता है। यह मुझे ध्यान नहीं है छत्रपाल गांव छोड़कर कब गया। मैंनें मेरे पुलिस बयान में यह लिखाया कि वर्ष 2020 में मदनलाल व सुरेश ने अपनी दुकान दीनदयाल किराना स्टोर बंद करके जयपुर चले गये यह बात मैंने सही लिखाई है। यह मुझे मालूम नहीं कि छत्रपाल बैंक में पट्टा लेने कब गया और गया भी या नहीं यह मुझे ध्यान नहीं है। मैं लोगों को पैसे उधार नहीं देता। मैंने मदनलाल को पैसे उधार नहीं दिये। यह कहना गलत है कि मैंने मेरे पैसे मदनलाल को देकर छत्रपाल को दिलवाये हो। मैं छत्रपाल के हक में मदनलाल के पैसे उधार देनें के मामले में न्यायालय में बयान देंने कभी नहीं आया।

13. गवाह पी0ड0 4 प्रतीक ने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि दिनांक 13.07.2021 को वह एसबीआई शाखा प्रबंधक के रूप में फुलेरा में कार्यरत था। उस दिन पीएस फुलेरा द्वारा मुकदमा संख्या 149/21 अंतर्गत धारा 420, 406, 504 भा0द0स0 बाबत रिकोर्ड बाबत एसएचओ द्वारा तहरीर जारी की थी जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि तहरीर प्रदर्श पी 05 मैंने प्राप्त की थी, प्रदर्श पी 05 पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस को दस्तावेज मैने नहीं दिये, दस्तावेज पुलिस को किसने दिये मुझे नहीं पता।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या :–1 :</u>

14. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्षीयों मे सबसे महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी छत्रपाल है जिसके द्वारा प्रदर्श पी 1 परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रदर्श पी 04 प्रस्तुत किया है। परिवादी पी0ड0 01 के रूप में परीक्षित हुआ है। परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में बतौर अमानता स्वयं का पट्टा बैंक में रखने के लिए अभियुक्त के द्वारा कहे जाने का कथन किया है, जिसमे परिवादी का यह कथन है कि दुकान का लिमिट अकाउंट सुचारू रूप से चल सके इस प्रकार का कथन अभियुक्त के द्वारा परिवादी को किया गया, जिस पर उसके द्वारा दिनांक 27.10.10 को सुरेश व मदनलाल से मिलकर मदनलाल के अकाउंट में लिमिट बतौर अकाउंट भूखण्ड का पट्टा रख दिया जिस पर उक्त गवाह ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि उसने दुकान बंद कर चला गया जिससे उसका खाता एनपीए हो गया। परंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त का खाता जिस वर्ष में एनपीए हुआ। हालांकि प्रदर्श पी 03 में सुरेश के अकाउंट के अवलोकन से दर्शित है कि वर्ष 2020 तक क्लोजिंग अमाउन्ट 5,99,772/–रूपये दर्शित है। बैंक के द्वारा भी उक्त बकाया मय ब्याज राशि के संबंध में उक्त दस्तावेज लोन अमाउंट के एनपीए होने का कोई दिनांक भी अंकित नहीं है। उक्त गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि बैंक उससे पैसा वसूल करती है तो वह मदनलाल से क्षतिपूर्ति सहित पैसा वसूल कर सकता है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी0ड0 02 रामसहाय जिनके द्वारा बैंक वालों से किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जो एनपीए बैंक अकाउंट पत्र को दर्शाता है, वह प्राप्त नही किया गया। उक्त गवाह का मात्र यह कथन है कि पट्टे के बदले जो राशि ली वो वापस नही की गई, इसी को उसने खयानत माता। तफतीश में धारा 504

भा0द0स0 के आरोप के संबंध में कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना है। परिवादी ने किश्ते नमा नहीं कराई और दुकान बंद कर चला गया, उस दिन से 420, 406 भा0दं0सं0 का जुर्म कारित अनुसंधान अधिकारी ने बताया जिससे यह दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में ना केवल फौरी तौर पर बल्कि अस्पष्ट रूप से जुर्म प्रमाणित मानते हुए न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर दिया। अनुसंधान अधिकारी के न्यायालय बयानों के अनुसार धारा 504 भा0द0सं0 के संबंध में उसकी तफतीश में क्या–क्या गांलिया दी गई, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में यह अस्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने धारा 504 भांदं0सं0 को लेकर जो अपराध मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उससे घ ाटनाक्रम स्पष्ट नहीं है। प्रकरण के अन्य समर्थन साक्षी में गवाह पी0ड0 03 हनुमानसिंह व पी0ड0 4 प्रतीक शर्मा जिनके द्वारा अपने बयानों मे मुलजिम मदनलाल के द्वारा वर्ष 2020 मे किराना स्टोर बंद कर जयपुर जाने की बात कही गई है। परंतु ऐसा कोई तथ्य न तो अनुसंधान अधिकारी ने अपने न्यायालय बयानों में स्पष्ट किया, ना ही परिवादी ने स्पष्ट किया। केवल यह कथन है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त के द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर दिया गया। प्रकरण में जो प्रलेखीय साक्ष्य है उससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वर्ष 2010 में लोन लिया और वर्ष 2018 तक अर्थात 08 वर्षो तक अभियुक्त द्वारा व्यवसाय जिसके लिए परिवादी का पट्टा बतौर गारंटर बैंक में रखा गया, वह व्यवसाय 08 वर्षो तक चला, अर्थात अभियुक्त की मंशा वर्ष 2010 में परिवादी के साथ विश्वासघात, लोन लेते समय नहीं थी, जैसा कि परिवाद एवं चाकशुदा एफ0आई0आर0 में परिवादी द्वारा अभिकथित किया गया है। व्यवसाय बंद होने का कारण मकान मालिक द्वारा दुकान खाली करवाना है, न कि कर्जदार/अभियुक्त की बंईमानी या चालाकी विधिक रूप थे। इसे व्यावसायिक विफलता (Business failure due to extraneous factors) माना जावेगा, ना कि धोखाधडी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त का व्यवसाय वर्ष 2018 में बंद हुआ और परिवादी द्वारा वर्ष 2021 में बैंक से अपना पट्टा मांगा गया, जब आरोपी ने देने से मना किया। कानूनन यदि 2018 में व्यवसाय बंद हुआ और लोन तभी से डिफॉल्टर (NPA) है, तो बैंक को 03 साल के भीतर अर्थात 2021 तक परिवादी या मुख्य कर्जदार अभियुक्त के खिलाफ कानून रिकवरी की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, परंतु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तोवज नहीं है, जिससे दर्शित हो कि बैंक ने लोन डिफाल्ट होने के बाबत परिवादी या आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध रिकवरी की कानूनी कार्यवाही की है जिससे परिवादी को क्षति कारित हुई हो। बैंक द्वारा परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही करने से परिवादी गवाह ने अपने न्यायालय साक्ष्य में इंकार किया है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से यह साबित नहीं है कि अभियुक्त ने बिजनेस बंद करने का नाटक किया, लोन का पैसा निजी खातों में ट्रांसफर किया या जानबूझकर परिवादी को फंसाया, या अभियुक्त ने लोन प्राप्त कर जानबूझकर अपनी निजी सम्पत्तियों को छुपाना या बेचना शुरू किया ताकि रिकवरी से बचा जा सके जिससे धोखादडी की नियत दर्शित होती हो। महत्वपूर्ण यह है कि न तो परिवादी और न ही गवाहों के बयानों से यह संकेत मिलता है कि परिवादी को न्यासी (गारन्टर) के रूप में पट्टा रखवाने हेतु किसी भी प्रकार से बाध्य किया गया हो। पत्रावली में वर्ष 2010 से वर्ष 2018 तक लोन की किश्तों का भुगतान किया गया था। सतीश चंद रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य (2019) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ऋण चुकाने में मात्र विफलता या अनुबंध का सम्मान ना करने मात्र एक आपराधिक अपराध (जैसे धोखाधडी या आपराधिक विश्वासघात) नहीं है, जब तक कि लेनदेन की शुरूआत मे ही बेईमानी या कपटपूर्ण इरादे का स्पष्ट सबूत न

हो। धारा 420 व 406 भा0दं0सं0 को लागू करने के लिए अनुबंध का टूटना काफी नहीं है। बल्कि यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी की नियत शुरू से ही बेईमानी की थी। पत्रावली पर उक्त साक्ष्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010 से जो लोन सी0सी0 लिमिट बढाने के लिए अभियुक्त द्वारा दिया गया वह सन 2019 तक प्रदर्श पी 03 के अनुसार लगातार किश्तों के रूप में अदा कर दिया गया। ऐसे में यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त का शुरू से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन अदा नहीं करने की बेईमानीपूर्ण आशय रहा हो। धारा 420, 406 भा0दं0सं0 के लिए सामान्य आशय में आपराधिक इरादे का महत्वपर्ण तथ्य होना आवश्यक है, जो पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं है। उक्त मामले में धारा 406 के अंतर्गत अपराध को लागू करने के लिए सम्पत्ति को मान्यता देना आवश्यक है परंतु ऋण के प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की वसूली के संबंध में कोई बदलाव किया गया हो। ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। धारा 420 भा0दं0सं0 धोखे के संबंध में सम्पत्ति के अनैच्छिक हस्तान्तरण को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी का शुरू से ही धोखादडी कारित करने का कृत्य रहा हो। जबकि उक्त मामले में यह स्पष्ट है कि दुकान बंद होने के कारण अभियुक्त की दुकान मालिक द्वारा खाली करवाने का है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी सम्पत्ति का लाभ या सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण इरादे से अभियुक्त के द्वारा परिवादी को धोखा दिया गया हो। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

15. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त मदनलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है। फलतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

16. परिणामतः अभियुक्त मदनलाल पुत्र श्री श्योजीराम उम्र 67 साल निवासी हनुमान नगर जीआरपी थाने के पीछे फुलेरा थाना फुलेरा जिला जयपुर को आरोपित अपराध धारा 420, 406, 504 भा0दं0सं0 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जब्तशुदा पट्टा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार लौटाये जावे।

(डॉ0 नीलम सुलभ जैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

19. यह निर्णय आज दिनांक **01.07.2026** को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 नीलम सुलभ जैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर